

श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/पैरामेडिकल/2025/7927-30

रायपुर, दिनांक 14.08.2025

--: विज्ञापन ::--

प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा संचालित आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट एवं पंचकर्म सहायक के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं।

01. उपलब्ध सीट :- 01. आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट पाठ्यक्रम 70 सीट

02. पंचकर्म सहायक 70 सीट

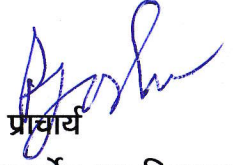
02. आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट एवं पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम हेतु श्रेणी एवं संवर्गवार उपलब्ध सीटों की संख्या :-

क्र.	पाठ्यक्रम	अनारक्षित					अ. जा.				अनु.ज.जा.				विशेष पिछड़ी अनु.ज.जा.	अ.पि.व.				कुल सीट
		महिला	सैनिक	FF	दिव्यांग	निल	महिला	सैनिक	FF	निल	महिला	सैनिक	FF	निल	निल	महिला	सैनिक	FF	निल	
01	आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट	09	-	-	1	21	2	-	-	6	6	-	-	15	1	2	-	-	7	70
02	पंचकर्म सहायक	09	-	-	-	22	2	-	-	6	6	-	-	15	1	2	-	-	7	70
कुल सीट		18	-	-	1	43	4	-	-	12	12	-	-	30	2	4	-	-	14	140

03. शुल्क :- आवेदन शुल्क तालिका

	श्रेणी	बैंक ड्राफ्ट की राशि	अंतिम तिथि
बिना विलंब के	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी.	1000/-	05.09.2025
	अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं विशेष पिछड़ी अनु. जनजाति	600/-	
विलंब की स्थिति में	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी.	1200/-	10.09.2025
	अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं विशेष पिछड़ी अनु. जनजाति	800/-	

टीप :- आवेदन पत्रों की विस्तृत जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट - www.gacraipurcg.in से प्राप्त की जा सकती है। काउंसिलिंग सूचना, प्रवेश आदि से संबंधित जानकारियों के लिए अभ्यर्थी महाविद्यालय के वेबसाईट पर समय-समय पर अवलोकन करते रहे।


प्राचार्य

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा संचालित आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट एवं पंचकर्म सहायक के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं।

01. उपलब्ध सीट:-

01. आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट - 70 सीट

02. पंचकर्म सहायक - 70 सीट

(श्रेणी एवं संवर्गवार विवरण परिशिष्ट “अ” में दर्शाया गया है।)

02. सीटों का आरक्षण :-

विभिन्न श्रेणी एवं संवर्ग हेतु छ.ग. शासन के द्वारा जारी प्रचलित / नवीनतम अधिसूचना के नियमानुसार आरक्षण किया गया है। (दिखें परिशिष्ट “अ”)

01. विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से आवेदक केवल एक ही श्रेणी/संवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।
 02. आवेदन पत्र भरते समय ही आवेदक को यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किस श्रेणी की आरक्षित सीट के लिए आवेदन कर रहा है। यदि आवेदन पत्र में यह स्पष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे अनारक्षित श्रेणी का समझा जायेगा तथा बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
 03. अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.), विशेष पिछड़ी अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी हेतु आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
 04. अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को 08.00 लाख अथवा उससे कम का एक वर्ष का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सत्र 2022-23, 2023-24 अथवा 2024-25 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल माता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में पिता का कोई आय नहीं होने अथवा पिता के जीवित नहीं होने अथवा पिता के साथ नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 05. दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सा बोर्ड/संभागीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 06. आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट एवं पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम महिला एवं पुरुष दोनों आवेदकों हेतु उपलब्ध रहेंगी।
 07. आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट एवं पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम हेतु महिलाओं के लिए शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
03. प्रवेश हेतु पात्रता -केवल उसी अभ्यर्थी को आवेदन करने की पात्रता होगी जो :-
01. भारत का नागरिक हो।
 02. छ.ग. का मूल निवासी हो (छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है)
 03. दोनों पाठ्यक्रमों (आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट एवं पंचकर्म सहायक) हेतु महिला एवं पुरुष दोनों आवेदक पात्र होंगे।

04. पंचकर्म सहायक पाठ्यक्रम के कार्य दायित्वों हेतु आवश्यक सक्षमता को ध्यान में रखते हुये शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ / सक्षम अभ्यर्थियों को ही आवेदन की पात्रता होगी।
05. आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट पाठ्यक्रम के दिव्यांग संवर्ग हेतु OA/OL के दिव्यांग अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

04. शैक्षणिक अर्हताएं :-

विज्ञान विषय (बायोलॉजी समूह) के साथ 10+2 प्रणाली की 12वीं परीक्षा, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण।

विशेष :-

यदि किसी आवेदक के 12वीं परीक्षा के अंकों में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना द्वारा वृद्धि होती है, तो ऐसे आवेदक आवेदन पत्र में संशोधन हेतु प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को प्रावीण्यता सूची प्रकाशन के पूर्व अपना आवेदन दे सकते हैं।

05. आयु :-

प्रवेश वर्ष 2025 के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

आयु प्रमाणित करने के लिए हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी (10+2) सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अथवा अंकसूची में अंकित जन्मतिथि को ही सही माना जावेगा।

06. चयन पद्धति :-

01. 10+2 की 12वीं कक्षा (बायोलॉजी समूह) के प्राप्तांकों की प्रावीण्यता के आधार पर श्रेणी एवं संवर्ग के अनुसार उपलब्ध सीटों के अनुरूप प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रवेश हेतु मेरिट / प्रावीण्यता सूची तैयार की जायेगी।
02. समान कुलांक प्राप्त आवेदकों की मेरिट, विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निर्धारित की जायेगी।
- | | | | | | |
|-----|----------|-----|------------|-----|---------|
| (अ) | बायोलॉजी | (ब) | केमिस्ट्री | (स) | फिजिक्स |
|-----|----------|-----|------------|-----|---------|
03. यदि उपरोक्त क्रम में भी अंक समान रहते हैं तो जिस आवेदक की आयु अधिक होगी उसे प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

07. प्रवेश प्रक्रिया :-

01. प्रवेश के इच्छुक आवेदक का आवेदन पत्र प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को निर्धारित तिथि 05.09.2025 अथवा विलंब शुल्क सहित 10.09.2025 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिए।
02. प्राचार्य द्वारा तैयार मेरिट / प्रावीण्यता सूची के आधार पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की सूचना एवं समय सारणी समाचार पत्रों एवं महाविद्यालय के वेबसाइट (www.gacraipurcg.in) में प्रकाशित की जायेगी। जिसको समय-समय पर अवलोकन की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
03. प्रवेश के समय जमा की गई फीस की राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

04. आवेदक को प्रवेश के समय महाविद्यालय में आवश्यक सभी मूल प्रमाण-पत्र / अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
05. यदि आवेदक निर्धारित तिथि तक प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है या प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाण-पत्र / दस्तावेज एवं शुल्क की संपूर्ण राशि का ड्राफ्ट / नगद प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यता क्रमानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश का अवसर खो देगा। उसके स्थान पर संवर्ग / श्रेणी में उपलब्ध आवेदकों में से प्रावीण्यता क्रम से प्रवेश दिया जायेगा।
06. काउंसिलिंग में सीट आबंटन के पश्चात् प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि तक आवेदक के संस्था में उपस्थित न होने पर या प्रवेशोपरांत संस्था छोड़ देने पर या किसी अन्य कारण से स्थान रिक्त होता है तो उन रिक्त स्थानों के विरुद्ध मेरिट / प्रावीण्यता के आधार पर पुनः उसी श्रेणी एवं संवर्ग के आवेदकों को अंतिम काउंसिलिंग के पूर्व प्रवेश आगामी काउंसिलिंग द्वारा दिया जावेगा।
07. विशेष अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह जाते हैं तथा इस श्रेणी का कोई आवेदक मेरिट / प्रावीण्यता सूची में उपलब्ध नहीं रहते हैं तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से भरे जावेंगे, अनुसूचित जनजाति से रिक्त सीट अनुसूचित जाति के आवेदकों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह जाते हैं और इस संवर्ग के आवेदक मेरिट / प्रावीण्यता सूची में उपलब्ध नहीं रहते हैं तो यह रिक्त सीट अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध आवेदकों से भरे जायेंगे। यदि उक्त दोनों श्रेणियों के आवेदक मेरिट / प्रावीण्यता सूची में उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो इन श्रेणियों के रिक्त सीटों को तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त रह गये सीटों को अनारक्षित श्रेणी के पात्र आवेदकों से भरा जावेगा।
08. प्रवेश रद्द करना :-
यदि यह पाया गया कि कोई आवेदक झूठी / गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
09. चिकित्सकीय उपयुक्तता :-
चयनित उम्मीदवार को प्रवेश हेतु चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी तथा इस हेतु महाविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा दक्षता समिति द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्हें प्रवेश तभी मिल सकेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त प्रमाणित हो जायेंगे।
10. आवेदन पत्र संबंधी जानकारी :-
(क) आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर आवेदकों को आवेदन करना अनिवार्य होगा जो विज्ञापन के साथ संलग्न है।
(ख) आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा :-
01. 10+2 प्रणाली से उत्तीर्ण 12वीं परीक्षा (बायोलॉजी समूह) की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

02. आयु संबंधी हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र अथवा अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
03. यदि किसी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
04. छ.ग. के मूल निवासी होने संबंधी छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवासी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
05. आय प्रमाण पत्र (केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु)
06. आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर “आयुर्वेद फॉर्मासिस्ट एवं पंचकर्म सहायक हेतु आवेदन पत्र” लिखें।
07. दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सा बोर्ड/संभागीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

11. शुल्क :- आवेदन शुल्क तालिका

	श्रेणी	बैंक ड्राफ्ट की राशि	अंतिम तिथि
बिना विलंब के	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी.	1000/-	05.09.2025
	अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं विशेष पिछड़ी अनु. जनजाति	600/-	
विलंब की स्थिति में	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी.	1200/-	10.09.2025
	अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं विशेष पिछड़ी अनु. जनजाति	800/-	

नोट :-

01. आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) अथवा Principal, Govt. Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.) के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो, संलग्न करें।
02. बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पूरा नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखें।
03. निर्धारित अंतिम तिथि (विलंब शुल्क सहित) के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को अमान्य कर दिया जावेगा एवं शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा। डाक के विलंब के लिए प्राचार्य जिम्मेदार नहीं होंगे।
04. बैंक ड्राफ्ट में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
05. आवेदन पत्र पूर्णतः न भरे जाने एवं बिंदु-10 में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज / शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। मूल प्रमाण पत्र संलग्न न करें, इन्हें काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय ही साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय आवश्यक मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा और वह प्रवेश का अवसर खो देगा। प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा इन पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित प्रस्तावानुसार होगी। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा।
06. आवेदन पत्रों की विस्तृत जानकारी एवं काउंसिलिंग सूचना महाविद्यालय के वेबसाइट - www.gacraipurcg.in से प्राप्त की जा सकती है।

परिशिष्ट “अ”

क्र.	पाठ्यक्रम	अनारक्षित					अ. जा.				अनु.ज.जा.				विशेष पिछड़ी अनु.ज.जा.	अ.पि.व.				कुल सीट
		महिला	सैनिक	FF	दिव्यांग	निल	महिला	सैनिक	FF	निल	महिला	सैनिक	FF	निल	निल	महिला	सैनिक	FF	निल	
01	आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट	09	-	-	1	21	2	-	-	6	6	-	-	15	1	2	-	-	7	70
02	पंचकर्म सहायक	09	-	-	-	22	2	-	-	6	6	-	-	15	1	2	-	-	7	70
कुल सीट		18	-	-	1	43	4	-	-	12	12	-	-	30	2	4	-	-	14	140

परिशिष्ट “ब”

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) में आयुर्वेद फॉर्मसिस्ट एवं पंचकर्म सहायक के सीटों हेतु शुल्क का निर्धारण :-

क्र.	विवरण	अनारक्षित एवं ओ.बी.सी. वर्ग हेतु	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ी अनु. जनजाति वर्ग हेतु
1.	प्रवेश शुल्क	1000=00	500=00
2.	शिक्षण शुल्क	6000=00	2500=00
3.	पुस्तकालय शुल्क	500=00	500=00
4.	प्रयोगशाला शुल्क	500=00	500=00
5.	सुरक्षा निधि	500=00	500=00
6.	परीक्षा शुल्क	1000=00	1000=00
7.	शैक्षणिक भ्रमण शुल्क	500=00	500=00
योग		10,000	6,000

05. प्रवेश वर्ष 2025 के 31 दिसम्बर को आयु वर्ष माह दिन

06. लिंग (उचित चौखाने में टिक ✓ करें।)

पुरुष	महिला
☐	☐

07. दिव्यांग अभ्यर्थी (उचित चौखाने में टिक ✓ करें।) हाँ ☐ नहीं ☐

08. उम्मीदवार की श्रेणी -

अनारक्षित - UR ☐ अनु. जाति - SC ☐

अन्य पिछड़ा वर्ग - OBC ☐ अनु. जनजाति - ST ☐

विशेष पिछड़ी अनु. जनजाति -

जो लागू हो वह ऊपर चौखाने में भरें एवं आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

09. 10+2 प्रणाली की उत्तीर्ण 12वीं परीक्षा में निम्नलिखित विषयों के प्राप्तांकों का विवरण (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मिलाकर) दें :-

विषय	पूर्णांक	प्राप्तांकों का योग
बायोलॉजी (जीव विज्ञान + वनस्पति विज्ञान)		
रसायन		
भौतिक		
योग		
उत्तीर्ण करने का वर्ष		

10. 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राज्य / बोर्ड का नाम :-

11. छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र - संलग्न ☐ असंलग्न ☐

12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट का विवरण :-

बैंक ड्राफ्ट		बैंक का नाम जहां से ड्राफ्ट बनवाया गया है।	ब्रांच का कोड (बैंक ड्राफ्ट देखें)		
क्रमांक	दिनांक		जारीकर्ता बैंक	भुगतान बैंक	राशि

नोट :- राष्ट्रीयकृत बैंक का रायपुर में देय एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) / Principal, Govt. Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.) के नाम पर होना आवश्यक है।

घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने यह आवेदन पत्र नियमों को पढ़ कर भरा है। मैंने अपनी प्रवेश की पात्रता का दिये गये नियमों के अंतर्गत परीक्षण कर लिया है और काउंसिलिंग के समय उन्हें स्थापित करने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी। मैं शपथपूर्वक इसकी पुष्टि करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिया गया कथन एवं जानकारी सत्य और सही है, मैंने कोई भी जानकारी छिपायी नहीं है। मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी में कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है तो मुझे इस बात का ज्ञान है कि मुझ पर आपराधिक अभियोजन लगाया जा सकेगा तथा मैं इससे सहमत हूँ कि मैं अपनी सीट खो दूंगा / दूंगी तथा मेरा पाठ्यक्रम में चयन एवं प्रवेश अध्ययन के दौरान कभी भी रद्द किया जा सकेगा।

(पिता / माता / अभिभावक के हस्ताक्षर)

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

चेक लिस्ट :-

1. 10+2 प्रणाली से उत्तीर्ण 12वीं परीक्षा (बायोलॉजी विषय के साथ) की अंकसूची - संलग्न हों / नहीं स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. आयु संबंधी हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण - संलग्न हों / नहीं पत्र या अंकसूची (जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति संबंधी - संलग्न हों/नहीं प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित - संलग्न हों / नहीं छायाप्रति।
5. आय प्रमाण पत्र (केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु) - संलग्न हों / नहीं
6. प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर के नाम से एकाउण्ट पेयी - संलग्न हों / नहीं बैंक ड्राफ्ट।
7. दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सा बोर्ड/संभागीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी - संलग्न हों / नहीं दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर